

प्रेषक,

दानवीर सिंह,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०-5, जनपद मुरादाबाद,
आई०डी०-यूपी 2324।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद मुरादाबाद।

विषय:- श्रीमान जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई, श्री अशोक कुमार सिंह-सप्तम द्वारा प्रदत्त वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि वर्ष 2020-2021 के क्रमांक (1)(F)(ii) एवं क्रमांक 1(M) एवं क्रमांक-4 में उल्लिखित टिप्पणी के सन्दर्भ में प्रतिवेदन।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थी को माननीय जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई, श्री अशोक कुमार सिंह-सप्तम द्वारा वर्ष 2020-21 की वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि प्रदान की गयी। उक्त वार्षिक गोपनीय प्रवृष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रार्थी को मुख्य तीन बिन्दुओं पर प्रतिकूल प्रवृष्टि दी गयी है, जैसाकि उक्त प्रवृष्टि के क्रमांक सं-(1)(F)(ii) एवं क्रमांक 1(M) एवं क्रमांक-4 से स्पष्ट हो रहा है। इस विषय में क्रमशः उक्त प्रतिकूल प्रवृष्टियों के बाबत पृथक-पृथक बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नवत है।

1. यह कि सन्दर्भित वर्ष अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 में प्रार्थी ने वाह्य न्यायालय कालपी, जिला जालौन में सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य किया।

2. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक प्रवृष्टि के क्रमांक (1)(F)(ii) में की गयी टिप्पणी कि साक्ष्यों के अधिमूल्यन में सुधार की आवश्यकता है, के सन्दर्भ में मेरा कथन है कि क्रमांक 1(F) में माननीय महोदय ने मेरे द्वारा पारित निर्णयों में तथ्य, विधि, तर्क व भाषा के प्रयोग को सही माना है। क्रमांक (1)(F)(i) में तथ्यों के रचना क्रम को अच्छा माना है। क्रमांक (1)(F)(iii) में विधि (लों) के प्रयोग को उचित माना है। उपरोक्त परिस्थितियों में माननीय महोदय की टिप्पणी स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर ही विरोधाभास से युक्त है। मेरे द्वारा साक्ष्यों का अधिमूल्यन विधि अनुसार किया गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत स्व मूल्यांकन प्रपत्र के साथ निर्णयों या किसी अन्य निर्णय को इस सम्बन्ध में श्रीमान जिला जज द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके कि उन्होंने ऐसा मत क्यों व्यक्त किया। अतः उक्त टिप्पणी को समाप्त कराये जाने की कृपा करें।

3. वार्षिक प्रवृष्टि के क्रमांक 1(M) में की गयी टिप्पणी "कि मैं सामान्य तौर पर जिला जज महोदय के मौखिक व लिखित निर्देशों की उपेक्षा करता हूँ" के सम्बन्ध में मेरा कथन है कि जूनियर डिवीजन का ऑफिसर, माननीय जिला जज के मौखिक व लिखित निर्देशों की उपेक्षा का साहस नहीं कर सकता है। माननीय जिला जज महोदय द्वारा मेरे न्यायिक कार्य के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। माननीय जिला जज द्वारा मेरी सत्यनिष्ठा व व्यक्तिगत चरित्र को उचित माना गया है एवं वादकारी, वार के सदस्यों, साथी अधिकारियों के प्रति आचरण को अच्छा माना गया है। जिला जज महोदय द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से मौखिक व लिखित निर्देश नहीं माने गये एवं उनसे न्याय प्रशासन को क्या क्षति हुई। अतः उक्त टिप्पणी समाप्त किये जाने योग्य हैं।

4. वार्षिक प्रवृष्टि के क्रमांक (4) में माननीय जिला जज द्वारा, मुझे वाह्य न्यायालय, कालपी, की सरकारी सम्पत्ति व न्यायिक रिकार्ड की सुरक्षा करने में असफल बताया है।

इस सम्बन्ध में मेरा कथन है कि मेरे कार्यकाल के दौरान, कालपी न्यायालय में कोई भी सरकारी सम्पत्ति की हानि नहीं हुई एवं कोई भी न्यायिक रिकॉर्ड गायब नहीं हुआ और न ही इस सम्बन्ध में मुझे या जनपद न्यायाधीश महोदय को कोई भी सूचना या शिकायत प्राप्त हुई। मेरे द्वारा न्यायालय के समय-समय पर निरीक्षण किये गये, जिसे माननीय महोदय द्वारा ही वार्षिक प्रवृष्टि के क्रमांक 1(K) में पूर्ण एवं प्रभावी माना है।

इस सम्बन्ध में मेरा कथन यह भी है कि जिला जज महोदय द्वारा मेरी वार्षिक प्रवृष्टि के (Annexure) के साथ, मुख्यालय व अन्य वाह्य न्यायालयों के स्वयं के द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण लगाये हैं। जिला जज महोदय द्वारा वाह्य न्यायालय कलपी का आकस्मिक निरीक्षण दि० 13.01.2021 व दि० 14.01.2021 की रात का (Annexure) लगाया है। उक्त अवधि को मैं अवकाश पर था। यद्यपि उक्त निरीक्षण के समय चौकीदार उपस्थित था। सर्दी का समय था। कोई भी गद्दा रजाई बतौर विस्तर बरामद नहीं हुई थी, बल्कि बोरी के बिछोने को विस्तर के रूप में दर्शित किया है। न्यायालय की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई थी।

उक्त निरीक्षण के समय में, मेरी मां की तबियत अत्यधिक खराब होने के कारण अवकाश पर था। दिनांक 17.01.2021 को मेरी मां का स्वर्गवास हो गया। मेरी मां के स्वर्गवास के दुखद समय में मेरे मुख्यालय वापस आने पर, मेरे अवकाश के दौरान चौकीदार द्वारा उपेक्षा बरतने पर अर्द्धशासकीय पत्र दे दिया गया, चौकीदार की उपेक्षा को, न्यायिक अधिकारी की वार्षिक प्रवृष्टि में प्रतिकूल आधार बनाया गया है। अतः उक्त टिप्पणी समाप्त किये जाने योग्य है।

5. मेरे द्वारा वर्ष 2020-2021 में कोरोना महामारी के दौरान भी निर्धारित मानक से अधिक 164 प्रतिशत न्यायिक कार्य सम्पादित किया गया। मेरे द्वारा प्राचीनतम वादों, सिविल व दाण्डिक वादों, निष्पादन वादों का निस्तारण पर्याप्त किया गया। कोरोना गाइड लाइन का अक्षरशः पालन किया गया। मेरे कार्यकाल में कालपी न्यायालय, किसी

कर्मचारी/अधिकारी को कोरोना होने के कारण बंद नहीं हुआ। मेरे द्वारा न्यायिक व प्रशासनिक दोनों स्तर पर कुशलतापूर्वक कार्य किया गया।

अतःएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के अनुरोध पत्र/प्रतिवेदन को माननीय न्यायालय के समझ सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए प्रस्तुत कर, श्रीमान पूर्व जनपद न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई श्री अशोक कुमार सिंह सप्तम द्वारा प्रदत्त वार्षिक प्रवृष्टि के क्रमांक (1)(F)(ii) क्रमांक 1(M) एवं क्रमांक-4 में वर्णित टिप्पणी को समाप्त कराये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

Danvir Singh
२५/१०/२१

(दानवीर सिंह),

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०-5, जनपद मुरादाबाद,
आई०डी०-यूपी 2324।

दिनांक:-25.10.2021

कार्यालय जजशिप, मुरादाबाद

पत्रांक सं०- 2021/(एडमिन)/मुरादाबाद, दिनांक अक्टूबर, 2021

सेवा में,

माननीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।